

नई व्यवस्था

केमिस्ट सालभर तक संभालेंगे डॉक्टर की पर्ची

डीसीजीआई की बैठक में फैसला

नई दिल्ली, एजेन्सी डॉक्टरों को अब मरीज की दवाओं की पर्ची दो प्रतियों में लिखना होगी। एक प्रति मरीज के पास रहेगी और दूसरी उस मेडिकल स्टोर पर एक साल तक रिकॉर्ड में रखी जाएगी, जहां से दवा खरीदी गई है। यह फैसला ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) की बैठक में लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, नई व्यवस्था एंटीबायोटिक्स दवाओं के लिए है। नए सुपरवाइस पनडीपम-1 के देश में तेजी से फैलने की आशंका के तहत यह कदम उठाया गया है। डीसीजीआई ने यह भी तय किया है कि मरीज को

एंटीबायोटिक्स का डोज अलग से दिया जाएगा। यानी बची दवाओं के साथ एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं किया जा सकेगा। डॉक्टर की पर्ची के बगैर देश में एंटीबायोटिक्स नहीं खरीदी-बेचे जा सकेंगी। उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये अर्थदंड भरे जा सकते हैं। इसके साथ दो साल की सजा का भी प्रावधान है।

यह भी नियम

एंटीबायोटिक दवाओं का खोज अन्य दवाओं से अलग प्रलेख

36 माह में स्टॉक पर ऑडिट

सरकार अस्पतालों में ड्रग कंट्रोल तथा इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटीयों का गठन

यहां मिलता है लापरवाही का डोज

विदेशों में प्रतिबंधित दवाएं भारत में खुलेआम बेची जा रही

भारत सरकार को शायद अपने नागरिकों की जान की परवाह नहीं। तभी तो जो दवाएं विदेशों में प्रतिबंधित हैं, वे यहां बेरोक-टोक टोपी जा रही हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जिस दवा को सरकार की सबसे बड़ी एजेन्सी ने प्रतिबंधित किया है, वह भी धड़ल्ले से बेची जा रही है।

रिस्क का लेबल, पर यहां नो प्रॉब्लम

					
दवा : सिल्डनाफिल	दवा : थोरिल	दवा : डीजैम	दवा : निगुस्तान	दवा : लेप्टिन	दवा : जिडोव
उपचार : सर्वा	उपचार : नानसिक स्थिति निगरानी पर की जाती है	उपचार : आत संबंधी बीमारियों के लिए	उपचार : बुखार और बंध	उपचार : मोटापन घटाने में	उपचार : गुणुमेड के लिए
विदेश : अमेरिका, कनाडा, समेत कई देशों में प्रतिबंधित	विदेश : जून 2005 के बाद उत्पादन पर पाबंदी	विदेश : मार्च 2007 के बाद दिवंगत पर रोक	विदेश : 12 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सख्त मनाही	विदेश : यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी द्वारा बिक्री पर रोक	विदेश : सभी यूरोपीय देशों में पाबंदी
कारण : राफाजान स्ट्रोक का खतरा	कारण : हृदय को रुकसान	कारण : हार्टअटैक का खतरा	कारण : लीवर पर खतरा	कारण : कार्डियोस्केलर संबंधी खतरा	कारण : हार्ट अटैक का खतरा

(स्रोत: यूरोप एफडीए, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, वैश्व दवाओं, एमआईएनएफ इंडिया)

Misc

v

v